भारत सरकार
शक्षा मंत्रालय
स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या-1252
उत्तर देने की तारीख-**08/12/**202**5**

वशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लए शक्षा (सीडब्ल्यूएसएन)

†1252. श्री वाई. एस. अ वनाश रेड्डी:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) देश में वशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को शक्षा में सहायता के लए सरकार द्वारा कार्यान्वित व शष्ट पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) देशभर में वशेष शक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले सरकारी वद्यालयों की संख्या कतनी है और इन वद्यालयों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नामां कत सीडब्ल्यूएसएन की कुल संख्या कतनी है;
(ग) उक्त वद्यालयों में सीडब्ल्यूएसएन को सहायता प्रदान करने के लए शक्षकों और कर्मचारियों को प्रदान कए गए प्र शक्षण और संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या देश में सीडब्ल्यूएसएन के लए शक्षा की गुणवत्ता और समावेशन को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त उपाय कए गए हैं/कए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): सरकार दिव्यांगजन अ धकार (आरपीडब्ल्यूडी) अ धनियम, 2016 में यथाउल्लि खत वशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शक्षा को सुनिश्चित करने के लए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। शक्षा सं वधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें दोनों इस कार्य में महत्वपूर्ण भू मका निभाती हैं। राष्ट्रीय शक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सफारिशों के अनुरूप समग्र शक्षा अ भयान (एसएसए) के तहत सीडब्ल्यूएसएन के लए एक व शष्ट समावेशी शक्षा (आईई) घटक है। निम्न ल खत कार्यकलापों के लए वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो क निम्न ल खत हैं,

- निर्धारण एवं मूल्यांकन श वर,
- सहायक उपकरणों, साम ग्रयों और सहायताकारी साधनों की व्यवस्था,
- परिवहन, लेखक और अनुरक्षक भत्ता,
- ब्रेल और बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें,
- वशेष आवश्यकता वाली लड़ कयों के लए वजीफा,
- वशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लए खेलकूद एवं अनुभवात्मक दौरे
- शक्षण-अ धगम सामग्री/संसाधन पैकेज आदि।
- वशेष शक्षकों और सामान्य शक्षकों का प्र शक्षण और क्षमता निर्माण
- वशेष शक्षकों के वेतन के लए संसाधन सहायता।

यूडाइज़+ वर्ष **2024-25** के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और इन स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन के नामांकन का ब्यौरा अनुलग्नक में है।

सरकार समावेशी शक्षा को सुदृढ़ करने के लए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और व्यापक ल क्षत कार्यकलापों, नीतिगत उपायों और क्षमता निर्माण के माध्यम से सीडब्ल्यूएसएन के कल्याण को सतत रूप से प्राथ मकता देती है।

समग्र शक्षा के माध्यम से, अध्यापकों और शक्षकों के लए सेवाकालीन प्र शक्षणों के भाग के रूप में सतत व्यावसायिक वकास कार्यक्रम तथा शक्षक प्रमुखों, अ भभावकों के लए समावेशी शक्षा संबंधी जागरूकता एवं सूचनाप्रद कार्यक्रम आयोजित कए जाते हैं। राष्ट्रीय शैक्ष णक अनुसंधान और प्र शक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने निष्ठा के तहत वशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व वध अ धगम जरूरतों की पूर्ति हेतु प्रारं भक, माध्य मक और बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) स्तर के लए ऑनलाइन शक्षक प्र शक्षण मॉड्यूल तैयार कए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, वशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अ धगम ज़रूरतों को पूरा करने के लए समावेशी स्कूलों के शक्षकों और दूसरे का र्मकों को जागरूक और प्र श क्षत करने के लए एनसीईआरटी-निष्ठा द्वारा वर्ष **2023-24** में, समावेशी शक्षा प्रदान करने के लए प्र शक्षकों के प्र शक्षण के लए, भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा तैयार पांच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कया गया था। परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने वत्तीय वर्ष 2025-26 के लए समग्र शक्षा के तहत अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 93,345 सामान्य शक्षकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लए 23.42 करोड़ रुपये अनुमोदित कए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वशेष शक्षकों और सीडब्ल्यूएसएन के लए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को सेवाकालीन क्रॉस- डसेबि लटी प्र शक्षण भी दिया जाता है।

सीबीएसई ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मैनुअल और एक व शष्ट हैंडबुक ऑफ़ इंक्लू सव एजुकेशन के माध्यम से समावेशी शक्षण को भी बढ़ावा दिया है, जिसके द्वारा सीडब्ल्यूएसएन के लए पाठ्यचर्या अनुकूलन, शक्षण कार्यनीतियाँ और वैकल्पिक मूल्यांकन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान कया जाता है।

इसके अतिरिक्त, डीओएसईएल के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय अध्यापक शक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सेवा-पूर्व अध्यापक शक्षा के लए चार वर्ष के एकीकृत अध्यापक शक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के तहत सीडब्ल्यूएसएन हेतु समावेशी शक्षा संबंधी दो व शष्ट क्रे डट्स को एकीकृत कया है। इसका उद्देश्य अ धगम समस्याओं संबंधी अवरोधों सहित अ धगम की बदलती जरूरतों की पूर्ति हेतु निय मत स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन द्वारा समावेशी और समान भागीदारी तथा भावी शक्षकों को शक्षण-अ धगम से अनुकूलन को सुनिश्चित करना है।

सीडब्ल्यूएसएन की निगरानी और शीघ्र जांच और कार्यकलापों को सु वधाजनक बनाने के लए, सरकार ने एनसीईआरटी के माध्यम से 'प्रशस्त' (प्री-असेसमेंट हो लस्टिक स्क्रीनिंग टूल) तैयार कया है; यह एक मोबाइल ऐप है जिससे स्कूल स्तर पर वद्या र्थयों की संभा वत दिव्यांगता के लए डजिटल जांच की जा सकती है।

पीएम ई- वद्या पहल के तहत दिनांक **6** दिसंबर, **2024** को श्रव्य बा धत लोगों के लए एक व शष्ट चैनल शुरू कया गया है। पीएम ई- वद्या 24*7 डीटीएच चैनल नंबर 31, श्रव्य बा धत लोगों के फायदे के लए इं डयन साइन लैंग्वेज (आईएसएल) में अ धगम सामग्री प्रसारित करता है। वर्तमान में, चैनल एनसीईआरटी स्कूल पाठ्यचर्या (कक्षा 1-5, 6 और 7), कॉन्सेप्ट वी डयो, मनोरंजन सामग्री, समावेशी शक्षा शास्त्र पर वशेषज्ञों, शक्षकों, वशेष अध्यापकों, परामर्शदाताओं, फजियोथेरे पस्ट और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों के साथ लाइव सेशन, सीडब्ल्यूएसएन का स्वास्थ्य और कल्याण, योग और खेल आयोजन जैसे खेलो इं डया पैरा गेम्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और आम लोगों के लए आईएसएल पर मूल पाठ्यक्रम, श्रव्य बा धत सफलता प्राप्त लोगों संबंधी श्रृंखला प्रसारित करता है।

सरकार ने शैक्ष णक संस्थानों के लए एक्से सबि लटी कोड दिनांक **10** जनवरी, **2024** को अ धसू चत कए हैं और इन्हें आरपीडब्ल्यूडी अ धनियम **2016** के नियमों में दिनांक **20** जून, **2024** को अ धसू चत कया गया है। इन कोड के माध्यम से सीडब्ल्यूएसएन के लए स्कूल सु वधाओं तक पहुंच में आने वाली वास्त वक बाधाओं तथा सूचना और प्रसारण बाधाओं की जांच की जाती है।

एनसीईआरटी "समावेशी कक्षा के लए शक्षण अ धगम कार्यकलापों" शीर्षक संबंधी एक लाइव संवादात्मक श्रृंखला आयोजित करता है। कक्षा **I** से **VII** के लए पाठ्यचर्या सामग्री, मनो वज्ञान, इतिहास , भूगोल, उर्दू, अर्थशास्त्र में शब्दावली संबंधी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को आईएसएल में परिवर्तित कर दिया गया है और इन ई-सामग्री की सुसंगत पहुँच सुनिश्चित करने के लए इन्हें दीक्षा पोर्टल और पीएम ई वद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से निय मत रूप से प्रसारित कया जा रहा है।आईएसएलआरटीसी के सहयोग से दीक्षा पर 10,500 शब्दों का आईएसएल शब्दकोश अपलोड की गई।

इसके अतिरिक्त, सीबीएसई द्वारा दिव्यांग वद्या र्थयों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगजन अ धकार अ धनियम-**2016** में यथा परिभा षत सीडब्ल्यूएसएन को कई छूट/रियायतें प्रदान करता है।

एनआईओएस देश का पहला बोर्ड है जो सांकेतिक भाषा के प्रयोग से आसानी से ज्ञान अर्जित करने और समझ बनाने के लए ब धर शक्षा र्थयों हेतु भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को प्रथम भाषा वषय के रूप में प्रदान करता है। एनआईओएस (मुक्त बे सक शक्षा, अकाद मक और व्यावसायिक) कार्यक्रम के माध्यम से वशेष रूप से औपचारिक स्कूल शक्षा तक पहुँच से वं चत दिव्यांगजनों के लए पढ़ाई के अवसर प्रदान करने के लए और दिव्यांगजनों तक इन अवसरों को और बढ़ाने के लए, एनआईओएस, दिव्यांगजन सशक्तीकरण वभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और एनसीईआरटी के बीच जून 2025 में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन कया गया। समझौता ज्ञापन के तहत, 308 एनजीओ/ वशेष स्कूलों को एनआईओएस स्टडी सेंटर के तौर पर प्रत्यायन प्रदान कया जाएगा, ता क एनआईओएस मानदंडों के अनुसार दिव्यांगजन शक्षा र्थयों के लए प्रवेश और परीक्षाएं आयोजित की जा सके। इसके अतिरिक्त, ब धर बच्चों के अ धगम परिणामों को बेहतर बनाने के लए आईएसएल के मानकीकरण और वशेषकर एसटीईएम वषयों में उच्च गुणवत्तापूर्ण आईएसएल शैक्ष णक मॉड्यूल तैयार करने हेतु वशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के उद्देश्य से एनआईओएस ने जुलाई 2023 में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्र शक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कया।

****

अनुलग्नक

" वशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लए शक्षा (सीडब्ल्यूएसएन)" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री वाई. एस. अ वनाश रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 08.12.2025 के लोकसभा अतारां कत प्रश्न संख्या **1252** के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक।

यूडाइज़+वर्ष **2024-25** के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और इन स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन का नामांकन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कूलों की संख्या	सीडब्ल्यूएसएन नामांकन
	भारत	1092671	1905946
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	337	719
2	आंध्र प्रदेश	45724	74427
3	अरुणाचल प्रदेश	2630	2702
4	असम	46328	52565
5	बिहार	77032	172486
6	चंडीगढ़	125	3390
7	छत्तीसगढ़	49240	68307
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	369	1162
9	दिल्ली	2919	31143
10	गोवा	1338	4365
11	गुजरात	40160	55058
12	हरियाणा	14342	18251
13	हिमाचल प्रदेश	14725	5622
14	जम्मू और कश्मीर	18786	17242
15	झारखंड	36943	45021
16	कर्नाटक	55749	71229
17	केरल	11972	108343
18	लद्दाख	850	517
19	लक्षद्वीप	36	190
20	मध्य प्रदेश	92800	133704
21	महाराष्ट्र	89290	205410
22	म णपुर	3537	3944
23	मेघालय	11961	2505
24	मजोरम	2849	3236
25	नागालैंड	1936	902
26	ओ डशा	54493	85101
27	पुडुचेरी	452	1022
28	पंजाब	19680	49569
29	राजस्थान	70155	58385
30	सक्किम	873	936
31	त मलनाडु	45880	128507
32	तेलंगाना	30636	56337
33	त्रिपुरा	4229	3122
34	उत्तर प्रदेश	145434	291645
35	उत्तराखंड	16633	3635
36	पश्चिम बंगाल	82228	145247

******